



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 12/09

निर्णय दिनांक:- 22.10.2018

1. जीसुखराम पुत्र रामप्रताप | जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तसहील
2. विमला पत्नी जीसुखराम | नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. करणीसिंह पुत्र फतेहसिंह | जाति राजपूत निवासी मेकेरी तहसील
2. लालकंवर पत्नी करणीसिंह | पूगल जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07-03-2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थित:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री करण सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 07-03-2006 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का बतौर भूमिहीन आवंटन किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा. न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 2 एम.एस.एम.ए. के मुरब्बा नम्बर 240/37 के किला नम्बर 11, 12, 19 ता 21 की 5 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 की 13 बीघा अनकमाण्ड कुल 18 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 23-03-2002 को आवंटित की गई थी तथा अपीलांट आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त किये बिना ही उक्त आराजी का आवंटन रेस्पोजेन्ट को बतौर मोहरबन्द बोली में दिनांक 07-03-2006 को कर दिया गया। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोजेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्ध रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोजेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोजेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जाँच किये रेस्पोजेन्ट के आवेदन पर जिला कलेक्टर की उक्त टिप्पणी पर की उक्त भूमि अन्य को पूर्व में आवंटित नहीं है के आधार पर वादगत् भूमि का आवंटन मोहरबन्द बोली में रेस्पोजेन्ट को कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन मोहरबन्द बोली के तहत दिनांक 07-03-2006 को किया गया है। वादगत् भूमि वर्ष 2001 में ही गजट में प्रकाशित हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन के तौर पर नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि का आवंटन करते हुए तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहाँ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि उसे पूर्व में आवंटित थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमिआक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख में वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्ध रूप से आराजीराज व आक्यूपाईडलैण्ड नहीं थी।

अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश कमांक एफ.5 (ई)/4/उपनि/06/1038 दिनांक 10-02-06 के द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चक 2 एम.एस.एम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 240/37 में 5 बीघा कमाड व 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन का अनुमोदन प्राप्त होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954, राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें 1955, राजस्थान सरकार अनुदान अधिनियम 1961 एवं राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1970 में उल्लेखित शर्तों एवं निबन्धन के तहत किया गया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आवंटन पूर्णतया सही व आवंटन नियमों की पालना करते हुए अदालत मातहत द्वारा किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत भूमि चक 2 एम.एस.एम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 240/37 के किला नम्बर 11, 12, 19 ता 21 की 5 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 6 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 की 13 बीघा अनकमाण्ड भूमि एसीसी छत्तरगढ़ द्वारा अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से बतौर भूमिहीन दिनांक 23-03-2002 को आवंटित की गई थी तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को गजट में प्रकाशित होने के कारण मोहरबन्द बोली में दिनांक 07-03-2006 को किया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत भूमि गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

(3) अदालत मातहात द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश कमांक एफ.5 (ई)/4/उपनि/06/1038 दिनांक 10-02-06 का अनुमोदन प्राप्त होने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954, राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तों 1955, राजस्थान सरकार अनुदान अधिनियम 1961 एवं राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1970 में उल्लेखित शर्तों एवं निबन्धन के तहत किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा भी वादगत भूमि की तमाम राशि खजारा राज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने-अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि वर्ष 2001 में गजट में प्रकाशित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् आराजी गजट में प्रकाशित होने के कारण रेस्पोजेन्ट को आवंटित हो चुकी है व पूर्व में उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वणित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर